

## भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS केंद्रीय कार्यालय CENTRAL OFFICE मुंबई MUMBAI

## प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION सं. No. 230/2025

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन **प्यूचरटेक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (गेटेपे)** को भारत में 20 मई 2025 से 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

20 मई 2025 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।

(गुणवीर सिंह) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Futuretek Commerce Private Limited** (**Getepay**) is hereby granted Certificate of Authorisation to operate as an 'Online Payment Aggregator' in India with effect from **May 20, 2025** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this 20th day of May 2025.

(Gunveer Singh) Chief General Manager-In-Charge